भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2174
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा

2174. डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वक्फ बोर्ड की भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल अवैध रूप से कब्जे में है;

(ख) क्या सरकार का इन भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का विचार है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वक्फ बोर्डों का कुल राजस्व कितना है और इस धनराशि से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (एनएडब्ल्यूएडीसीओ) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एनएडब्ल्यूएडीसीओ ने अब तक एक भी संपत्ति विकसित नहीं की है और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए जा रहे हैं तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): वक्फ अधिनियम, 1995, यथासंशोधित, की धारा 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी राज्य में सभी औकाफ का सामान्य अधीक्षण राज्य वक्फ बोर्ड में निहित होता है और वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और ऐसे संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिभोग एवं अतिक्रमण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड अधिक्रमणकर्ता से ऐसे अधिक्रमण को हटवाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों से प्राप्त केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिक्रमण झेल रही वक्फ संपत्तियों की संख्या की राज्य–वार स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 में वक्फ संपत्तियों पर अधिक्रमण से निपटने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां देने के लिए जोड़े गए मुख्य उपबंधों में अन्य बातों के साथ–साथ ''अधिक्रमणकर्ता'' की कड़ी परिभाषा; राज्य सरकारों को सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए दिया गया अधिदेश; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के बिना वक्फ

संपत्तियों के अंतरण के लिए कठोर कारावास; वक्फ संपत्ति अंतरण को संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध बनाना; किसी किरायेदार को बेदखल करने से संबंधित विवादों से निपटने के लिए विस्तारित क्षेत्राधिकार वाले तीन सदस्यीय अधिकरण शामिल हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/राज्य वक्फ बोर्डो द्वारा वक्फ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन की समय–समय पर मॉनीटरिंग करती है।

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) के अधीन विभिन्न नए प्रावधान जोड़े गए हैं जहां वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना करने, केंद्रीयकृत कंप्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) के रख–रखाव और राज्य वक्फ बोर्डों के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी समाधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद ने वक्फ संपत्तियों की जियो–टैगिंग की पहल की है और इस संबंध में प्रगति इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	वक्फ संपत्तियों की जीआईएस/जीपीएस मैपिंग के लिए नियोजित संस्थान	अब तक कवर किए गए राज्य वक्फ बोर्ड
1	आईआईटी–रूड़की	तीन
2	एएमयू, अलीगढ़	छह

(ग): केंद्रीय वक्फ परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए यथासंशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 72 के तहत राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा एकत्रित सांविधिक अंशदान क्रमशः 3,063.91 लाख रु0 और 3,622.72 लाख रु0 है। इसके अलावा, मंत्रालय देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं रखता है।

(घ): जी, हां। भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 31 दिसंबर, 2013 को राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) को निगमित किया था जिसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाने के लिए वक्फ संपत्तियों को विकसित करना है जिसका उपयोग समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

(ङ) और (च): वक्फ संपत्तियां केन्द्र या राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होती हैं। बहुत से मामलों में, कोई अभिरक्षक/मुतवल्ली/वक्फ संस्थान होता है जो उस संपत्ति का प्रबंधन करता है और संपूर्ण वक्फ मामले 2013 में यथासंशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से शासित होते हैं। नावाडको ने देशभर में ऐसी संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें विकसित किए जाने के लिए उन पर विचार किया जा सकता है। राज्य एजेंसियों/वक्फ संस्थानों की तैयारी के आधार पर आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में रियल एस्टेट में एक विशेषज्ञ (तकनीकी एवं वित्तीय) के माध्यम से 10 संपत्तियों का व्यवहार्यता अध्ययन/मूल्यांकन किया गया है। संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद विकास के लिए व्यवहार्य पाई गई संपत्तियों के संबंध में मामला अनुमति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है और उसके बाद किसी उपयुक्त डेवलपर/रियायत ग्राही को नियोजित करते हुए विकास कार्य शुरू किया जाता है।

******

अनुलग्नक

'वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा' के बारे में डॉ॰ सुकान्त मजूमदार और श्री खगेन मुर्मु द्वारा पूछे गए एवं 04.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2174 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अधिक्रमित वक्फ संपत्तियों की राज्य–वार स्थिति का ब्यौरा

क्रम सं0	वक्फ बोर्ड का नाम	निजी संगठनों/व्यक्तियों द्वारा अधिक्रमित वक्फ संपत्तियों की संख्या
1.	असम वक्फ बोर्ड	191
2.	अंडमान एवं निकोबार वक्फ बोर्ड	01
3.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	180
4.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	58
5.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	200
6.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड	06
7.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	373
8.	हरियाणा वक्फ बोर्ड	754
9.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड	503
10.	झारखंड वक्फ बोर्ड	02
11.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड	862
12.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड	29
13.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड	3,240
14.	मणिपुर वक्फ बोर्ड	76
15.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड	81
16.	ओडिशा वक्फ बोर्ड	07
17.	पंजाब वक्फ बोर्ड	5,610
18.	पुदुचेरी वक्फ बोर्ड	05
19.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड	164
20.	तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड	1,335
21.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड	41
22.	उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड	12
23.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड	119
24.	वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल	3,082

******